(125)

प्रार्थी अभिभाषक श्री रामबाबू पाटीदार
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 29-6-15

अपील 2469-II-15

न्यायालय श्रीमान रेवेन्यू कमिश्नर उज्जैन संभाग उज्जैन कैम्प मंदसौर
==

प्र. क्र. :- 547/13-14 अपील

ओमप्रकाश पिता बालूराम तेली, उ. 37 साल,
व्यवसाय मजदूरी, खेती, निवासी बडवन
तहसील व जिला मंदसौर ...अपीलांट

बनाम

01. पुष्करलाल पिता भेरूलाल तेली, आयु 17-18 साल,
व्यवसाय मजदूरीखेती, निवासी बडवन तह. व जिला मंदसौर
02. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, मंदसौर ...रेस्पाडेन्ट

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 44 म.प्र.भू.रा.सं. विरूद्ध आदेश दिनांक 02.06.2014 न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, मंदसौर के प्रकरण क्रमांक 60/अपील/11-12 ओमप्रकाश विरूद्ध पुष्कर आदि में पारित के जिसके विरूद्ध माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय खण्ड पीठ इंदौर के समक्ष याचिका क्रमांक 6050/14 ओमप्रकाश विरूद्ध पुष्करलाल प्रस्तुत की गई जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.2014 को रेवेन्यु बोर्ड के समक्ष हाई कोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त होने से 30 दिने में करने के निर्देश दिये जिसके पालन में प्रस्तुत है। यह आदेश न्यायाबार तहसीलदार धुंधड़का के प्रकरण क्रमांक 2/अ/56/11-12 ओमप्रकाश विरूद्ध पुष्करलाल में दिनांक 18.07.12 को पारित किया गया जिसका अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी महोदय, मंदसौर ने दिनांक 18.07.12 को ही कर दिया।

दिनांक 22/5/2015

(1) प्रकरण में आवेदक उच्च न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मंडल में अपील प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है,

(2) अतः आवेदक अधिवक्ता द्वारा यदि वे इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाते है तो प्रस्तावित अपील मैं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को उपस्थित करें, उच्च न्यायालय के आदेश को उपस्थित करते बाधक नहीं आती है।

अपर आयुक्त
उज्जैन संभाग, उज्जैन

अपीलांट 26-6-15 को वापस
26.6.15

माननीय महोदय,

अपील सक्त अपीलांट निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

01. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय विधि विधान एवं प्रमाणों के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

-2-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील/2469-दो/15 **जिला** - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश जोशी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	